कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी कोटा
{Fax no- 0744-2490475 E-Mail. Kums.kota@yahoo.in}

क्रमांकः—

दिनांक :—1.11.2016

विषय :—वन विभाग से भूमि आवंटन कराए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन मे रही कमियों की बांछित रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बांछित वस्तुत रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है।

बिन्दु संख्या 1—

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम,1961 के तहत कृषि उपज के क्रय—विक्रय को श्रेयस्तर रूप से नियमित करने तथा राजस्थान राज्य में कृषि उपज मण्डियॉ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रक्रिया के तहत ही कृषि उपज मण्डी समिति(अनाज) कोटा की 1964 में स्थापना की गई। तथा एरोड्राम के पास यू.आई.टी. से स्थानान्तरित भूमि में मण्डी यार्ड की स्थापना की गई। उक्त के पश्यचता नई धान मण्डी स्थित यार्ड छोटा पड़ने तथा यातायात की भारी समस्या आने पर रीको से भूमि आवंटित कराकर उपशासन सचिव कृषि ग्रुप —2 विभाग की विज्ञप्ति संख्या जयपुर, जुलाई 23,1998 में वर्तमान में निर्मित यार्ड जो कि कृषि जिन्सों क क्रय—विक्रय के कार्य से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग में आ रहा है निर्मित कराया गया।वर्तमान में पुनः कृषि जिन्सों की आवक बढ़ने के कारण वर्तमान निर्मित यार्ड छोटा पड़ने से वर्तमान में अवस्थित यार्ड के दक्षिण की ओर स्थित वन विभाग की भूमि को कृषकों की कृषि उपज कें क्रय—विक्रय कराये जाने हेतु मण्डी यार्ड विस्तार किए जाने हेतु प्रस्तावित है।

बिन्दु संख्या —4

वर्तमान में मण्डी समिति अनाज कोटा द्वारा कृषि उपज के क्रय विक्रय हेतु जो यार्ड निर्मित कराया हुआ है उसके दक्षिण की ओर दीवार से लगती हुई बांछित बन भूमि है। नगर निगम कोटा /रीको के क्षैत्र में उक्त वन भूमि के अतिरिक्त वर्तमान मण्डी प्रांगण से सटती हुई लगभग 74 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस समिति द्वारा जो वन विभाग से भूमि आवंटन कराने की बांछना की गई है वह बांछित भूमि पथरीली होने के कारण वन कार्यों हेंतु अनपयोगी होने से बांछित भूमि को आवंटन कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। ताकि वर्तमान यार्ड जो अब छोटा पड़ने से यार्ड में कृषि उपज के क्रय— विक्रय मे कठिनाईयॉ आने के कारण तथा कृषि जिन्सें को लाने वाले एवं ले जाने वाले बाहनो की संख्या अधिक होने के कारण यातायात व्यवस्था में अवरोध होने के कारण ही वर्तमान यार्ड के विस्तारी करण हेतु वन विभाग से जमीन की बांछना की गई है।

बिन्दु संख्या 8—(1)

राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्थिति की सूचना का प्रारूप निर्धारित किया हुआ है। कृषि उपज मण्डी समिति एक स्वायत्तशाषी संस्था है।िराजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम,1961 एवं संशोधित नियम 1963 के तहत कृषकों की कृषि जिन्स क्रय करने वाले अनुज्ञापत्रधारीं व्यापारियों से कुल कीमत पर 1.60 रू. की गणना अनुसार मण्डी शुल्क समिति कोष में जमा होता है। मण्डी समिति के पास उपलब्ध सकल बचत का 20 प्रतिशत राशी जो कि वित्तीय वर्ष 2016—17 हेतु अनुमानित 882.61 लाख रूपये होती है भूमि आवंटन कराए जाने हेतु आरक्षित किया हुआ है। जैसे ही वन विभाग से भूमि आंवटित हो जाती है उक्त आरक्षित राशी मे से मण्डी समिति तदानुसार राशी भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सकेगी।

(2) परियोजना रिपोर्ट प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है।

(डा.आर.पी.कुमावत)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा